

राष्ट्रहित !

उद्योगहित !!

मजदूरहित !!!


२०३६

५

श्रमिक स्मारिका

मजदूर

4/2/88



1987

६

बिहार प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन, पटना

Bihar Pradesh Bank Workers' Organisation, Patna

स्नेह संध्या 1987 के अवसर पर

बिहार प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन

(सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ एवं एन० ओ० बी० डब्लू०)

कार्यालय : ६/२२ आर० ब्लाक, पटना-800 001

बिहार प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन का 9वां द्विवाषिक अधिवेशन डाक-तार मनोरंजन गृह, पटना (बिहार) (आर० ब्लाक० चौराहा के पास) दिनांक 7 सितम्बर, 1986 को सम्पन्न हुआ। जिसमें वर्ष 1986—88 के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए :—

- अध्यक्ष** : श्री सच्चिदानन्द राय, केनरा बैंक, दानापुर कैंट, जिला—पटना।
- उपाध्यक्ष** : श्री शिवजी सिंह, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना।
श्री गया प्रसाद, केनरा बैंक, करंसी चेस्ट, दक्षिणी गांधी मैदान, पटना।
श्री वरुण कुमार सिन्हा, पंजाब नेशनल बैंक, बोरिंग रोड, पटना।
- महासचिव** : श्री रामकिशोर पाठक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना।
- सचिव** : श्री राकेश नारायण सिन्हा, पंजाब नेशनल बैंक, कोईलवर, भोजपुर।
श्री कामेश्वर कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना।
श्री विद्यानन्द झा 'विशारद', पंजाब नेशनल बैंक, आरा (भोजपुर)।
श्री हरिशंकर चौधरी, केनरा बैंक, रमगढ़वा, जिला—सिवान।
- गठन सचिव** : श्री श्रीभगवान सिंह, केनरा बैंक, गुठनी, जिला—सिवान।
श्री राजकुमार सिन्हा, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना।
श्री सुरेश राय, पंजाब नेशनल बैंक, बोरिंग रोड, पटना।
श्री राजाराम, केनरा बैंक, दक्षिणी गांधी मैदान, पटना।
- कोषाध्यक्ष** : श्री प्रभांशु कुमार, केनरा बैंक, दक्षिणी गांधी मैदान, पटना।
- सह-कोषाध्यक्ष** : श्री विश्वजीत गौतिया, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना।
- कार्यालय सचिव** : श्री बिनोद कुमार सिंह, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना।
- कार्य समिति सदस्य** : श्री अरुण कुमार ओझा, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना।
श्री पी० के० दयाल, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल स्टेशनरी सेल, राजेन्द्रनगर, पटना।
श्री बी० के० निगम, केनरा बैंक, दक्षिणी गांधी मैदान, पटना।
श्री घनश्याम पांडेय, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना।
श्री जगदीश प्रसाद, केनरा बैंक, मुंगेर (बिहार)
श्री चन्दन किशोर सिन्हा, पंजाब नेशनल बैंक, उदयन्त नगर, भोजपुर।
श्री पृथ्वी राज, पंजाब नेशनल बैंक, रहुई, नालन्दा।
श्री के० पी० गुप्ता, केनरा बैंक प्रमण्डलीय कार्यालय, मेनरोड, राँची।
श्री अनिल कुमार वर्मा, वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर।
श्री शिव कुमार प्रसाद, भूमि विकास बैंक, बुद्ध मार्ग रोड, पटना।
- विशेष आमंत्रित** : श्री इन्द्रजीत प्रसाद, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना।

श्रमिक स्मारिका

बिहार प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन

पटना

●
स्नेह संख्या

1987

●
सम्पादक :

राम किशोर पाठक

●
सम्पादक सहयोगी :

शिवजी सिंह
प्रभांशु कुमार

विश्वजीत गौंसिया

जानेश्वर कुमार
वर्षण कुमार चिन्हा

Handwritten signature/initials in Hindi script, possibly reading 'शिवजी सिंह'.

प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के प्रेरक

एवं

मुख्य मंत्री, श्री विन्देश्वरी दूबे के गतिशील नेतृत्व में

(12 मार्च, 1985 से 12 मार्च, 1987 तक)

२०-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत

बिहार की उत्कृष्ट सफलताएं

- ★ समय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 7,89,493 व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया ।
- ★ राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 630.56 लाख श्रम दिवस तथा ग्रामीण भूमिहीन नियोजन गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 488.01 लाख श्रम दिवस सृजित किये गये ।
- ★ 25,864 एकड़ अधिशेष भूमि का वितरण ।
- ★ 911 बंधुआ मजदूरों को पुर्नवासित किया गया ।
- ★ अनुसूचित जाति के 4,60,486 परिवारों तथा अनुसूचित जन-जाति के 2,32,747 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई ।
- ★ 3,4,४ समस्याग्रस्त गाँवों को पेयजल की सुविधा मुलभ कराई गई ।
- ★ 51,515 गृह-स्थल गृह विहीनों के बीच आवंटित ।
- ★ 67,726 परिवारों को, परिवेशीय दशा सुधारने के लिए सहायता ।
- ★ 20,447 घर ग्रामीण क्षेत्र में, कमजोर वर्ग के लिए निर्मित ।
- ★ 4,521 गाँवों में विजलीकरण : 20743 पंप सेट्स उर्जान्वित ।
- ★ 4,234 करोड़ वृक्ष रोपे गये, 10,338 वायो-गैस संयंत्र लगाये गए ।
- ★ 5,21,455 व्यक्तियों ने परिवार कल्याण के अन्तर्गत स्वैच्छिक बंध्याकरण कराया ।
- ★ जन-वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 326 चलंत दुकानें खोली गई ।
- ★ 15,517 लघु उद्योग/शिल्पीकृत इकाईयों की स्थापना की गई ।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार

द्वारा प्रसारित ।



सुहृद् वृन्द !

नेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, बिहार प्रदेश द्वारा आयोजित भ्रातृत्व-स्नेह-संध्या के सुअवसर पर प्रकाशित स्मारिका आपके हाथों में है। सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय जीवन-मूल्यों के विकास और संरक्षण के लिए भारतीय मजदूर संघ का एक गौरव-पूर्ण इतिहास रहा है। आज हमारा देश विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से घिरा है। हम नित्य ही आतंक और असुरक्षा से तनावग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में बैंक कर्मचारी ही क्या, समस्त भारतीय नागरिकों के बीच भ्रातृत्व-स्नेह को प्रोत्साहित करना कितना आवश्यक है, आप प्रबुद्धजनों को बताना अपेक्षित नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में वर्ग संघर्ष और खूनी क्रांति की मान्यताओं ने हमारे राष्ट्रीय जन जीवन में जो विष घोला है, वर्ग-भेद के द्वारा मानविक विभेद और वंमनस्य की जो विनाशलीलाएँ की हैं, उससे हमारी समस्याओं का हल तो दूर उनकी तायदाव ही बढ़ी है। वस्तुतः वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग-समन्वय ही युगीन-आवश्यकता है। सगोनों की नोक पर खूनी क्रांति और वर्ग संघर्ष का नारा देकर जो सत्ता हथियाने का खतरनाक खेल खेलते हैं वे नतिकता, मानवता, प्रेम और सौहार्द्र की परम सत्ता को भूल रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ इसी परम सत्ता का उपासक है। इस स्नेह-संध्या के बहाने अपने उपास्य की आराधना का यह हमारा लघु-अनुष्ठान है। और यह स्मारिका हमारी शुभकामनाओं से धूपित और अभिमंत्रित उस महापूजा का एक अकिंचन पुष्प !

अंत में उन सभी बन्धुओं को हमारा हार्दिक आभार ज्ञापित हो, जिनकी महती कृपा से इस स्मारिका का प्रकाशन संभव हो सका है।

इति शुभम् ! जय भारत !

समष्टिवाद के आयाम

दत्तोपन्त ठेंगडी

हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है। अल्प रोजगार भी एक और खतरनाक समस्या है। इन दोनों का हल योग्य आयोजन से ही निकल सकता है। सम्पूर्ण आयोजन रोजगार प्रेरित होना चाहिए जिसमें पूंजी प्रेरित परियोजनाओं के स्थान पर श्रम प्रेरित परियोजनाओं पर जोर देना चाहिए। हमारे तकनीशियनों को सम्पूर्ण संसार की तकनीकों का गहराई से अध्ययन करना और भारतीय परिस्थितियों के योग्य विदेशी तकनीकों को पहचान कर उन्हें यहां भी प्रारम्भ करना चाहिए, जिससे कारीगरों को लाभ हो और जिन्हें पारम्परिक उत्पादन तकनीकों में सहजता से सम्मिलित किया जा सके। उससे श्रमिकों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका न हो, वर्तमान प्रबन्धकीय एव तकनीकी कुशलताओं को बरबादी से बचाया जा सके।

उत्पादकता :

रोजगार के बाद औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या मजदूरी निर्धारण की है। उसका आधार क्या होना चाहिए? मूल्य, लाभ या उत्पादकता का स्तर क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय आय का न्यूनतम सीमा निर्धारण करने की मांग जोर पकड़ते जा रही है, हालांकि यह संदेहप्रद है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए समान स्तर निर्धारित किया जा सकेगा। परन्तु प्रत्येक सभ्य समाज का यह कर्तव्य है कि वह अकुशल श्रमिकों को जीवनावश्यक आधार पर न्यूनतम वेतन प्रदान करें। पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निश्चित प्रणाली एवं स्तर विशेषज्ञों द्वारा अनुपयुक्त पाए गये हैं। आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन का आधार निश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों तथा केन्द्रों में श्रमजीवी वर्ग के पारिवारिक वजट के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इसके आगे का कार्य वर्णन, कार्य विश्लेषण,

कार्य प्रणालियों का मानवीकरण तथा सभी कार्यों का कार्य मूल्यांकन और वेतन अन्तर को कार्य विश्लेषण की वैज्ञानिक प्रणाली के परिणामों के अनुरूप निश्चित किया जाना चाहिए। आवश्यक वेतन की रक्षा के लिए उसको जीवन के रहन-सहन निर्देशांक के साथ सम्बद्ध किया जाना आवश्यक है। वोनस को बाद में दिये जाने वाला या सहायक वेतन मानना आवश्यक है जब तक कि जीवनावश्यक वेतन और सचमुच में प्राप्त वेतन के बीच दूरी कम न हो जाये और जबतक प्राप्त होनेवाला वेतन जीवनावश्यक स्तर तक न पहुँच जाय। इस उद्देश्य से यह आवश्यक है कि श्रमजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग तथा कृषि क्षेत्र के रहन-सहन निर्देशांक को वैज्ञानिक आधार पर फिर से एकत्र किया जाय; विभिन्न क्षेत्रों एवं शहरों की तुलनात्मक मूल्य सूची निर्देशांक बनाये जायें, भिन्न उद्योगों में उत्पादकता निर्देशांक प्रारम्भ किए जायें, और "भुगतान की योग्यता" की धारणा को संशोधित किया जाए।

'भुगतान की योग्यता' को अक्सर गलत समझा जाता है। सर्वप्रथम तो श्रमिकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने प्रतिष्ठानों के आय-व्यय पत्रक और बैलेन्सशीट को जाँच सकें। दूसरे उन्हें अपने उद्योगों की निर्णयात्मक प्रणाली में भाग लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारे देश में अधिकतर पूंजीपति व्यापारी हैं, उद्योगपति नहीं। उद्योगपति वह होता है कि अपने उद्योग और उसके विकास के साथ पूर्ण रूप से एकात्म हो जाए। उसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में नीकरशाहों के लापरवाही पूर्ण दृष्टिकोण से अक्सर उद्योग और उसके श्रमिकों पर विपरीत असर पड़ता है। सच तो यह है कि धारणा बना लेना कि पैसा ही उद्योग की एकमात्र पूंजी है, गलत है।

क्योंकि श्रम भी एक सहयोगात्मक पूंजी है इसलिए उसे भी एक भिन्न प्रकार की पूंजी माना जाना चाहिए और प्रत्येक श्रमिक के कार्य का मूल्यांकन उसके अंश की तुलना में होना चाहिए। प्रत्येक श्रमिक को एक अंशधारक का दर्जा दिया जाना चाहिए। अंशधारक के रूप में उसे पूंजी लगानेवाले अंशधारकों के समान माना जाना चाहिए। ऐसे श्रमिकीकरण के पश्चात् भी यह आवश्यक होगा कि सभी उद्योगों में "कुशलता परक" तथा "पूर्व सूचना" की प्रणाली प्रारम्भ की जाये। इन सब उपायों को लागू किये जाने के बाद ही "भुगतान की योग्यता" को सही रूप में निश्चित किया जा सकता है। उद्योग की उपादेयता सचमुच महत्वपूर्ण है।

समान वितरण :

वेतन निर्धारण को एक अलग समस्या नहीं माना जा सकता। यह आय वितरण की बड़ी समस्या का एक भाग है। "अधिकतम उत्पादन एवं समान्य वितरण" एक सर्व स्वीकृत सिद्धान्त है। परन्तु इसे सिर्फ योग्य योजना के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। राष्ट्र के हित में अन्य वर्गों के समान श्रमिक भी बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। परन्तु उन्हें यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि उन्हें जो त्याग करने को कहा जा रहा है वह राष्ट्र हित में है, न कि किसी व्यक्तिगत या थोड़े से मालिकों के हित में। रोजगार, मूल्य, उत्पादकता एवं आय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीतियाँ तय करने के लिये आर्थिक कार्यकलापों से सम्बन्धित सभी शक्तियों की एक गोलमेज परिषद बुलाई जाना चाहिए और इस परिषद में जो निष्कर्ष निकलें उनके अनुरूप अर्थशास्त्रियों को योजना का मसौदा तैयार करना चाहिए। ऐसा होने पर सभी "जनता" योजना के रूप में उसका स्वागत करेंगे और उसके क्रियान्वयन के लिए प्रेरणा पायेंगे। सभी प्रकार के एकाधिकार समाप्त होना चाहिए चाहे वे सरकारी ही क्यों न हों। सभी आर्थिक अधिकारों को पूर्ण रूप से विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिये। "औद्योगिक स्वामित्व वर राष्ट्रीय आयोग" शीघ्र ही स्थापित किया जाना चाहिए जो कि निजी उद्योग राष्ट्रीयकरण श्रमिकी-

करण, सहकारीकरण, स्वयं नियोजन, प्रजातांत्रिकरण या उद्योगों के संयुक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करेगा। आयोग को निर्देश दिये जाने चाहिए कि वह सरकारी क्षेत्र में सभी कार्यों का निर्धारण करे जैसे कि साधारण भुगतान, तकनीकी या विशेषज्ञ सेवाएं, व्यापारी एवं न्यायिक एवं क्षमतापूर्ण प्रशासन, क्षेत्रीय एवं स्थानीय सेवाएं इन सबको आयोगों, ट्रिब्यूनलों या बोर्डों के रूप में नैर-सरकारी सार्वजनिक संस्थाओं के अन्तर्गत सौंप दिया जाए जिनका कि संचालन जन प्रशासकों की नई पीढ़ी द्वारा हो और जिन पर सिर्फ संसद के द्वारा उच्चतम स्तर की नियंत्रण विशेष रूप से गठित जन संस्थाओं के मंत्रालय के माध्यम से हो। सरकार के सिर्फ वे ही विभागीय कार्य रखे जायें जिनके लिए मंत्रालय संसद के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार सरकार में कम से कम विभाग आदर्श रूप में रह सकेंगे और मंत्रालय तथा प्रशासकों का बोझ कम हो जाएगा, फलस्वरूप विभागीय कार्य कुशलतापूर्वक चलेंगे।

इन उपायों से जनता की मानसिक धाराओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा जिससे औद्योगिक शांति स्थापन करने, अधिकतम उत्पादकता वृद्धि करने, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, श्रम कल्याण, औद्योगिक आवास, लाभ कमाने के स्थान पर सेवा की भावना, 'अहंकार' के स्थान पर 'वयमकार' स्थापित करने में सहायता मिलेगी। किसी भी व्यक्ति, संगठन और अधिकारियों को किसी भी सम्पत्ति पर प्रभुता सम्पन्न अधिकार नहीं रहेगा चाहे वह राज्य द्वारा ही बनाया गया हो। सभी पर भगवान का स्वामित्व है, चाहे उसे किसी भी नाम से क्यों न बुलाया जाय, व्यक्ति या उनकी संस्थाएँ भगवान के किरायेदार के रूप में ही सम्पत्ति रख सकते हैं। व्यक्तियों द्वारा निमित्त संस्थाएँ अपने निर्माता से अधिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती।

सह-भागिता का सिद्धान्त :

नियोजक चाहे किसी भी श्रेणी के क्यों न हों चाहे बैंक, सार्वजनिक या निजी कम्पनी, वैधानिक रूप से गठित

स्वशासित निगम, भविभक्त हिन्दु परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति, भागीदारी प्रतिष्ठान या सहकारिता समिति सब में भागीदारी के सिद्धान्त को योग्य महत्व दिया जाना चाहिए। किसी भी श्रेणी के नियोक्ता के अन्तर्गत श्रमिकों की वैधानिक स्थिति कुछ भी क्यों न हों उद्योग एवं अर्थ व्यवस्था की प्रगति के लिए यह बिल्कुल आवश्यक है कि श्रमिकों को नैतिक रूप से भागीदार का स्तर दिया जाय। वैधानिक रूप से यदि श्रमिकों को यह भागीदार या संयुक्त मालिक का दर्जा न भी दिया गया हो तो नियोजकों को उन्हें नैतिक रूप से भागीदार के समान ही व्यवहार करना चाहिए। उद्योग का संचालन इस प्रकार मिलकर किया जाना चाहिए जिससे कि उनके संयुक्त हित को बनाये रखा जाए। उन्हें उद्योग के खातों का हिसाब तथा उद्योग सम्बन्धी सभी बातों की पूरी जानकारी रहना चाहिए।

श्रमिकों की शिक्षा :

औद्योगिक परिवार तथा श्रमिकीकरण सम्बन्धी भारतीय धारणा को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु ऐसा भी नहीं है कि इन प्रणालियों से सभी आन्तरिक समस्याएँ स्वयंमेव हल हो जायेगी। नई प्रणाली के अन्तर्गत प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं को जैसे कि समान कार्य के लिये समान वेतन द्वारा आय वितरण श्रेणी एवं कार्य की मात्रा पर आधारित आय में अन्तर प्रबन्धकीय तकनीकें, श्रमिक परिषदों, प्रबन्धक बोर्डों का गठन एवं उनकी बैठक के, आयोजन एवं आर्थिक गति-विधियाँ, लागत लेखापाल की रिपोर्टों का अर्थ, बैलेन्सशीट

तथा तत्सम्बन्धी कागजात और वर्तमान अधिक वेतन की मांग और भविष्य में अधिकतम विनियोजन के बीच संतुलन स्थापित करने की कला के बारे में परिसंवादों और अध्ययन मंडलों के द्वारा श्रमिकों की शिक्षित करना पड़ेगा।

भारतीय धारा के अनुसार अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तियों के गुट और समाज का यह कर्तव्य के साथ-साथ अधिकार भी है कि वे उत्तम भाँति जीवन बिताएं। इससे भारतीय सामाजिक आर्थिक प्रणाली के अन्तर्गत स्थायी रूप से बिना किसी रुकावट प्राप्त किया जा सकता है।

दिग्भ्रान्त पश्चिम का वे अन्धानुकरण करने का प्रयत्न करते हैं। पश्चिम द्वारा प्रचलित किसी भी विचारधारा ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता नहीं पाई है। कोई भी "वाद" अपनी कल्पना के सामाजिक आर्थिक स्वरूप को संगठित नहीं कर सका। पश्चिमी आदर्शों की हमारे द्वारा नकल करने का अर्थ होगा अंधे का मार्गदर्शन। यदि हमने उनका अनुसरण किया तो अजन्मे भविष्य-मृत भूतकाल' की हास्यस्पद स्थिति में पहुँच जाएंगे। इसलिए हमें वर्तमान परिस्थितियों के भीतर सामान्य मनुष्य की हालत को सुधारने के लिए आवश्यक मार्गों पर साधनों को खोजने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति के आधार पर भारतीय मूल्यों को जीवन में पुनःस्थापित करने के लिए, जिससे वे वर्तमान वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति एवं आधुनिक युग की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, मार्ग खोजने के प्रयत्न करना है। ●

चिगारी तो जंगल का जंगल स्वाहा कर बेती है। प्राण की एक-एक बूँद करोड़ों को जीवनदान बेती है :

**तुम्हें तो दोनों मिले हैं—ज्योति और प्राण,
ज्योतिमय प्राण ! फिर तुम क्यों निश्चेष्ट बंठे हो।**

—स्वामी विवेकानन्द

वाम संगठन को चाहिए गुलाम मजदूर

प्रभाकर घाटे

महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ

मजदूरों के हाथ में स्वामित्व :

“भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के हित में सभी संबद्ध संस्थाओं का स्वामित्व श्रमिकों के हाथों में सौंप देने का हिमायती है। श्रमिकों की पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक संस्थाएँ यूरोप और अमरीका सहित विश्व के कई हिस्सों में काफी समय से चल रही है।

“औद्योगिक इकाइयों का स्वामित्व मजदूरों को सौंप देने की हमारी मांग के संदर्भ में कहा जाता है कि इसके बाद श्रमिक संगठनों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इसी वजह से अन्य श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के इस प्रस्ताव का विरोध भी कर रहे हैं। इंटक के नेता भी ऐसा नहीं चाहते हैं और वाम मोर्चे की पार्टियों द्वारा नियंत्रित श्रमिक संगठन तो इस प्रस्ताव के कट्टर विरोधी हैं।”

“वाम श्रमिक संगठनों के नेताओं की रट यह है कि श्रमिकों को उनके कल-कारखानों का स्वामी बना देने से एक की जगह हजारों पूँजीपति पैदा हो जाएंगे। वाम संगठनों की इस खोखली दलील के बारे में हमारे विचार हैं कि मात्र किसी औद्योगिक इकाई अथवा व्यावसायिक संगठन में अंशधारी (शेयर-होल्डर) हो जाने से ही कोई पूँजीपति नहीं हो जाता। और दूसरे कि यदि सचमुच भारत में प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार ‘पूँजीपति’ बनाया जा सके तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वाम श्रमिक संगठन सही अर्थों में श्रमिकों को अपनी दासता के चंगुल में बांधे रखना चाहते हैं। वे श्रमिक का भला नहीं चाहते। इन श्रमिक संगठनों की बातें तार्किक नहीं हैं। वे कुतर्क करते हैं।”

**देश के हित में करेंगे काम,
काम का लेंगे पूरा दाम**

“हमने इस दिशा में सदैव प्रयास किया है कि मजदूरों को श्रम के अनुसार पारिश्रमिक मिले। ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ, जहाँ हमारे कार्यकर्त्ताओं ने काफी सराहनीय कार्य किया है।

राजस्थान के राज्य परिवहन की बसें बहुत घाटे में चल रही थीं। जब हमारी यूनियन वहाँ बनी तो हमने कार्य पर विशेष जोर दिया। फलस्वरूप जो नुकसान हो रहा था वह आहिस्ता-आहिस्ता समाप्त हो गया। बोनस के समय ८.३३ प्रतिशत बोनस मिल रहा था। हमारे कार्यकर्त्ताओं ने उसका विरोध किया, जिससे १० प्रतिशत बोनस स्वीकृति मिल गयी। यह राजस्थान के परिवहन इतिहास में प्रथम घटना रही।”

“दूसरी घटना महाराष्ट्र के अरबन को-ऑपरेटिव बैंक की है। दीपावली के समय मैनेजमेंट बोनस के लिए गड़बड़ी कर रहा था। हमारे कार्यकर्त्ताओं के प्रतिवाद करने पर बोनस की उचित राशि स्वीकार कर ली गयी। प्रतिवाद के समय तीन दिन तक बैंक बंद रहा, सो खुलने वाले दिन बैंक में काफी भीड़ थी। भीड़ को देखते हुए हमारे कार्यकर्त्ताओं ने बैंक मैनेजर से यह अनुरोध किया कि जितनी भी देर हो जाए, हम लोग बिना ओवर टाइम के कार्य करेंगे, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान न हो। उन्होंने अपेक्षा में भी ज्यादा कार्य कर अपनी निष्ठा की पहचान दी।”

हड़ताल—अंतिम हथियार ?

यह बात सही है कि मजदूर संगठनों का अंतिम हथियार हड़ताल है। रही जापान के मजदूरों द्वारा

हड़ताल के बजाय काले फीतों के प्रयोग की बात, तो यह सिक्के का एक पहलू है। क्योंकि जापान की सरकार या मैनेजमेंट अपने मजदूरों के कल्याण के प्रति तुरन्त ही सक्रिय हो जाती है। यहाँ तो मजदूर आमरण अनशन या अन्य कुछ भी करके प्रतिवाद करें, सरकार या मैनेजमेंट की नींद नहीं खुलती। अंत में अन्तिम हथियार हड़ताल के द्वारा इन कुम्भकरणों की नींद तोड़ी जाती है।

आधुनिक तकनीकी और कम्प्यूटर

आधुनिक तकनीकी के हम विरोधी नहीं हैं, किन्तु यदि यह तकनीकी मानव श्रम में सहायता न कर मानव का वर्चस्व ही समाप्त कर दे, तो हम इसके सख्त खिलाफ हैं। जैसे टंकण (टाइपराइटर) भी कभी आधुनिक तकनीकी

की देन थी। किन्तु इसके रहने से मानव श्रम में कभी काफी सहायता मिली। दूसरी ओर कम्प्यूटर आने से मानव श्रमिकों की छंटनी होने लगी है जो बिल्कुल गलत है। हम हमेशा दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, उस पर विचार नहीं करते। अब अमरीका को ही लीजिए। वहाँ मानव श्रम कम है, पूँजी अधिक है। इसलिए वहाँ के लोग मानव श्रम की कमी को पूँजी द्वारा नये-नये यंत्र बनाकर अपनी आवश्यकता की कमी को पूरा कर लेते हैं। इसके विपरीत हमारे देश में मानव श्रम अधिक है, पूँजी कम है। अब यहाँ पर नए-नए यंत्र लगाकर मानव श्रम को अपंग बनाया जा रहा है। हाँ, बहुत से काम मानव शक्तियों के कार्यों के परे हैं, कठिन हैं। वहाँ पर आधुनिक तकनीकी बहुत सहायता कर सकती है।



BIHAR STATE FINANCIAL CORPORATION

FRASER ROAD, PANTA-800 001

Gram : BISFINCO


Phone { 25228
32017
32016

OFFERS

- ★ Financial assistance up to Rs. 60 lakhs for new units, modernisation diversification and expansion.
- ★ Equipment Finance Scheme for units in operation for last 4 years and have earned profits for last 2 years and not have defaulted to Institutions/banks.
- ★ Schemes for N. R. Is, Technorates, Medical Practitioners, Transport Operators, Artisans, Physically Handicapped, Schedule caste and Schedule Tribe Entrepreneurs
- ★ Rehabilitation of our assisted sick and closed units.

“Entrepreneurs satisfaction is a measure of our performance”.

Girja Shankar Dutt, IAS,
Managing Director



श्रम संघों के बढ़ते कार्य एवं दायित्व

सुरेश प्रसाद सिन्हा

महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश

आधुनिक युग में आर्थिक एवं औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप श्रम संघों के कार्य एवं दायित्व में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। एक समय था जब श्रम संघों का कार्य कारखाने के अन्दर तथा बाहर मजदूर के आवास गृहों तक सीमित था। मजदूर अपने तथा अपने सह-कर्मियों के बारे में ही सोचता था एवं श्रम संघों का कार्य क्षेत्र भी वहीं तक सीमित था। किन्तु आज श्रम संघों का कार्य कारखानों एवं उपनिवेशों की सीमा पार कर सम्पूर्ण समाज, देश, राष्ट्र तथा समस्त विश्व में फैल गया है।

एक समय था जब रूस में श्रमिक राज्य के हामी भरने वाले श्रमिक नेता एवं साम्यवाद के संस्थापक श्री लेनिन ने कहा था कि स्वयं श्रमिक लोग शासन करना नहीं जानते, अतः उन्हें वर्षों तक इस कला का प्रशिक्षण लेना होगा, इसलिए कुशल प्रशासन के लिए अनेक क्रान्तिकारियों अथवा अभ्यास वृद्ध साम्यवादियों की आवश्यकता होगी। हमारे पास साम्यवादी दल हैं जो इस प्रकार की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

लेनिन का यह कथन सम्भवतः रूस के लिए उस समय ठीक रही है किन्तु आज यह सत्य नहीं है। लेनिन ने इसे आज से लगभग ७० वर्ष पहले कहा था किन्तु आज दुनिया आगे बढ़ चुकी है, श्रमिकों के अन्दर बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थानों के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण की ग्रन्थियों को समझने की क्षमता विकसित हुई है, वह अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझने लगा है। औद्योगिक समस्याओं का उचित समाधान खोज सकने एवं प्रशासन कुशलतापूर्वक चलाने में सक्षम हैं। इतना ही नहीं, लेनिन द्वारा चर्चित साम्यवादियों के अपेक्षा शासन की ग्रन्थियों

को समझने में आज का श्रमिक कहीं अधिक सक्षम और समर्थ है।

ट्रेड यूनियन एक्ट १९२६ के अन्तर्गत उद्योगों प्रतिष्ठानों तथा अन्य संगठनों में श्रम संघों के कार्य निम्न ८ प्रकार हैं।

(१) कारखाने के अन्दर श्रम के हितों के लिये किये गए कार्य।

(२) कारखाने के बाहर श्रमिकों के लिये किये कार्य।

(३) राजनैतिक कार्य।

(४) समाजवादी अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य।

(५) श्रमिकीकरण लागू कराना।

(६) "सर्वोत्तम जन संख्या" सिद्धान्त लागू कराना।

(७) औद्योगिक अधिनियमों का अध्ययन कर लागू कराना।

(८) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन खड़ा कराना तथा सम्मेलनों में भाग लेना।

१. कारखाने के अन्दर श्रम के हितों के लिए किये गये कार्य :—

(क) श्रमिकों को उचित तथा पर्याप्त वेतन तथा महंगाई भत्ते दिलाना।

(ख) कार्य की दशा में सुधार कराना।

(ग) काम के घंटों में कमी करवाना तथा काम के घंटों के मध्य अवकाश दिलाना।

(घ) लाभ तथा प्रबन्ध में हिस्सा दिलाना।

(ङ) कारखाने के अन्दर कैंटीन, पानी, शौचालय आदि व्यवस्था करवाना।

(च) आराम गृह की व्यवस्था करवाना।

२. कारखाने के बाहर श्रमिकों के लिये किये गये कार्य—

- (क) शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्यों की व्यवस्था करना तथा श्रमिकों में भ्रातृत्व का भाव पैदा करना ।
- (ख) कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था करना तथा इसके द्वारा कार्य क्षमता को बढ़ाना ।
- (ग) पुस्तकालय की व्यवस्था करना एवं श्रमिकों तथा उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ।
- (घ) बेरोजगारी, बीमारी, हड़ताल तथा तालाबन्दी के समय श्रमिकों की आर्थिक सहायता करना ।
- (ङ) श्रमिकों के मनोरंजन तथा स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था करना ।
- (च) श्रमिकों के लिए आवास समस्या का समाधान करना ।
- (छ) श्रमिकों की दशा के बारे में पत्रिकाओं को प्रकाशित करना ।
- (ज) श्रमिकों को सस्ता ऋण तथा सस्ते दरों में अनाज दिलाना ।

३. राजनैतिक कार्य—

श्रमिक संघों, विधान परिषद्, विधान सभा तथा लोक सभा में चुनाव लड़ना तथा अपने इच्छानुसार प्रतिनिधि को समर्थन देकर भेजना एवं विशेष धन-मंजूर कर प्रतिनिधियों को आर्थिक सहायता देना । इन सभाओं में श्रमिकों के लिए स्थान सुरक्षित करवाना भी श्रमिक संघों का कार्य है ।

४. समाजवादी अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य—

- (क) श्रमिकों तथा सेवायोजकों को इस प्रकार संगठित करना जिससे राजकीय योजनाएँ सफल हो सकें ।
- (ख) श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाना ।
- (ग) उत्पादन के किस्म का सुधार करना तथा उत्पादन जागत को कम करना ।

(घ) श्रमिकों की मजदूरी में नियमन करना तथा योजनाओं में भाग लेना ।

(ङ) श्रमिकों तथा सेवायोजकों के मध्य झगड़ों का निबटारा करना ।

(च) राजनैतिक, नैतिक तथा शिक्षित स्तर को बढ़ाना ।

(छ) श्रमिकों की औद्योगिक योग्यता तथा उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करना ।

५. श्रमिकीकरण लागू कराना—

श्रमिकीकरण श्रमिक तथा औद्योगिक जगत में एक नये सिद्धान्त के रूप में आया है । श्रमिकीकरण के द्वारा राष्ट्रीय धन स्वतःसम विभाजित हो जाती है । श्रम के द्वारा स्वामित्व का अर्जन होता है एवं श्रमिकों का प्रबन्ध, नियंत्रण और स्वामित्व में भागीदारी होता है । मानव कल्याण एवं मानवीय श्रम ही समस्त आर्थिक, आर्थिक क्रिया-कलापों की धुरी होती है ।

६. सर्वोत्तम जनसंख्या का सिद्धान्त लागू कराना—

बढ़ती जनसंख्या में श्रमिक संघों का दायित्व बढ़ जाता है । समस्त श्रम-शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग हो सके इसका ध्यान भी श्रमिक संघों को देना होगा । राष्ट्र के समस्त साधनों का सर्वोत्तम उद्योग हो सके इसके लिये सर्वोत्तम जनसंख्या का सिद्धान्त लागू कराना भी श्रमिक संघों का दायित्व होता है । इसके लिये लोगों में संयम बरतने पर भी बल देना पड़ सकता है ।

७. औद्योगिक अधिनियमों का अध्ययन कर लागू कराना—

वर्तमान युग में आर्थिक एवं औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप नये-नये आर्थिक संस्थाओं एवं संगठनों के स्थापना के कारण हजारों श्रम शक्ति के उपयोग एक ही आर्थिक एवं औद्योगिक इकाइयों में होने लगा । पूँजीपति एवं सरकार अपने-अपने हितों के लिए नियमन करने लगे जिसके कारण मजदूरों को भी अपनी संगठित शक्ति

के बल पर आन्दोलन करना पड़ा फलस्वरूप नये-नये औद्योगिक अधिनियम बनाने लगे। इन अधिनियमों में प्रमुख ये हैं—

1. Workmen's Compensation Act of 1923.
2. Trade Union Act of 1925.
3. Payment of Wages Act 1936.
4. Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946.
5. Industrial Dispute Act of 1947.
6. Factories Act, 1948,
7. Minimum Wages Act of 1948.
8. Employees State Insurance Act 1948.
9. The Employees Provident Funds and Family Pension Funds 1952.
10. Payment of Bonus Act 1965.
11. The Payment of Gratuity Act, 1972.
12. Industrial Dispute (Amendment) Act of 1982.
13. Price Index.
14. Wage Board and Pay Commission.

उपर्युक्त अधिनियमों एवं आर्थिक संगठनों का गहन अध्ययन करना तथा उसमें भाग लेना भी श्रमिक संघों का कार्य है। क्योंकि इनके द्वारा श्रमिकों के हितों का संरक्षण करना तथा नियमों-उपनियमों को अध्ययन कर उनको लागू कराना श्रमिकों का कार्य है।

८. राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन खड़ा करना तथा सम्मेलनों में भाग लेना—

श्रम संघों के भी राष्ट्रीय स्तर पर महासंघ बन रहे हैं अतः उन महासंघों में अपना प्रतिनिधि भेजना तथा भिन्न-भिन्न उद्योग, उद्योगों की समस्याओं के समाधान हेतु महासंघों की स्थापना करना।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम सम्मेलनों में भाग लेना एवं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम संगठन स्थापित करना जिससे समस्त विश्व में श्रम समस्याओं का अध्ययन कर निदान निकाला जा सके एवं अपना सुझाव विश्व भर में लागू कराया जा सके।

जय भारत ! जय उद्योग !! जय श्रमिक !!!



**With Best
Compliments
From:**

Kailash Trading

All kinds of Rubber Chemicals and Lubricants

&

General Orders Supplier

भारतीय मजदूर संघ

एस० एन० राय

अध्यक्ष, बिहार प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, पटना

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की लड़ाई चल रही थी, भारतीय जनमानस परतंत्रता की बेड़ियाँ काट फेंकने के लिए व्यग्र था। भारतीय स्वतंत्रता को बल प्रदान करने के लिए मजदूरों को संघटित करना बहुत जरूरी था। ऐसी चर्चा चल रही थी कि इन्टरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन में भारत का प्रतिनिधि भेजा जाय। ताकि यहाँ के स्वतंत्रता आन्दोलन को अन्य देशों का समर्थन प्राप्त हो सके। अतः राजनीतिक उद्देश्य हेतु एटक AITUC ऑल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। कहने का मतलब यह है कि यहाँ राजनीतिक उद्देश्य हेतु श्रम संघ की स्थापना हुई। कालान्तर में एटक को साम्यवादी विचार धारा वालों ने अपने कब्जे में ले लिया। देश की स्वतंत्रता के बाद सत्तारूढ़ दल को अपने एक श्रम संघटन की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु INTUC इंटक (इन्डियन नेशन ट्रेड यूनियन कांग्रेस) की स्थापना हुई।

स्पष्ट है कि भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के पूर्व मजदूर क्षेत्र में राजनीति करने वालों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए श्रम संघों की स्थापना की। इस प्रकार मजदूर क्षेत्र में राजनीतिक यूनियनवाद हावी था। सभी केन्द्रीय श्रम संघटन विभिन्न दलों व गुटों के अंग थे। मजदूर नेताओं के राजनीतिक झुकाव के कारण मजदूरों के हितों के असली कार्य की अपेक्षा राजनीतिक महत्व का प्रोत्साहन अपरिहार्य था। इस कारण मजदूर विभिन्न राजनीतिक दलों की सत्ता के खेल के मोहरे बन जाते थे। इसी राजनीतिक शोषण और उपेक्षा के कारण जागरूक मजदूर विक्षुब्ध एवं दुःखी थे। वे यथार्थ ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर आधारित एक राष्ट्रीय श्रम संघ अर्थात् मजदूरों का, मजदूरों द्वारा, मजदूरों के लिए संचालित मजदूर संघटन के अभ्युदय की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रमिकों का एक

जागरूक वर्ग राजनैतिक यूनियनवाद के साथ-साथ आर्थिक यूनियनवाद अर्थात् Broad Butter रोटी मक्खन यूनियनवाद के भी खिलाफ थे। उस समय के मजदूर नेता केवल यही समझते थे कि मजदूर और मालिक के अलावा कोई तीसरा पक्ष नहीं है। इसलिए राष्ट्रहित को लक्ष्य नहीं किया जा रहा था। जिससे राष्ट्रवादी मजदूर जो राष्ट्रहित एवं मजदूर हित के बीच कोई विरोध नहीं समझते थे। वे यह भी मानते थे कि देश में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए मजदूर संघ राजनैतिक दलों के बहकाव में नहीं आये।

ऐसे ही विचार रखने वाले कुछ लोग २३ जुलाई १९५५ को भोपाल में एकत्र हुए और उन्होंने एक नये केन्द्रीय श्रम संघटन भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की घोषणा की। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को यह विश्वास था कि राजनैतिक नेताओं के वर्चस्व को मजदूर क्षेत्र में प्रभावहीन किया जा सकता है। वे पूँजीवाद एवं साम्यवाद दोनों से मुक्त होकर आगे बढ़ने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ थे। ये पश्चिम देशों के भौतिकवाद एवं भोगवाद के खिलाफ थे। ऐसा वे महसूस करते थे कि भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों के अभाव में आन्तरिक संघर्षों से मुक्त कोई स्वस्थ सामाजिक ढाँचा विकसित कर पाना संभव नहीं है। वे न तो वर्ग संघर्ष के पोषक थे और न ही वर्ग सहयोग के पक्षधर। उन्होंने घोषित किया कि वर्ग अवधारणा वास्तविक नहीं, काल्पनिक है और उसका अंतिम परिणाम राष्ट्र का विघटन है। उन्होंने निम्नलिखित माँगों को रखा :—

१. काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने।
२. योजना निर्धारण में कृषि को उपयुक्त प्राथमिकता देने।

३. औद्योगिक मजदूरों के लिए नौकरी की सुरक्षा ।
४. आवश्यकता पर आधारित बेतन ।
५. निलम्बित बेतन के रूप में बेतन का अधिकार ।
६. वास्तविक बेतन की आवश्यकता के लिए मूल्य वृद्धि का समानुपातिक महँगाई भत्ता ।
७. विशाल पैमाने पर औद्योगिक आवास निर्माण ।
८. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं की माँग रखी ।

सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने इस सरकारी तर्क को मानने से इन्कार कर दिया कि प्रत्येक बेतन वृद्धि का अनिवार्य परिणाम मूल्य वृद्धि एवं रोजगार के सम्भावनाओं के अवनयन में कमी होता है। सम्मेलन ने दृढ़ता के साथ कहा कि बेतन वृद्धि उसी हद तक मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेवार है जहाँ तक बेतन वृद्धि उत्पादन वृद्धि से अधिक है। सम्मेलन ने यह भी निश्चय किया कि इस नये आंदोलन का दृष्टिकोण रचनात्मक होगा न कि आन्दोलनात्मक। औद्योगिक प्रगति के लिए औद्योगिक शांति एक अनिवार्य आवश्यकता है। भारतीय मजदूर संघ का यह प्रयास रहेगा कि बिना उचित कारण के उत्पादन में बाधा नहीं पहुँचे। मजदूर क्षेत्र में हिंसा तोड़फोड़ और अन्य समाज विरोधी कार्यों का वह विरोध करेगा। लेकिन वह हड़ताल करने में मजदूरों के अधिकार पर जो मजदूरों का मौलिक अधिकार है, किसी भी तरह का अलोकतांत्रिक प्रतिबंध का प्रबल विरोध करेगा।

उन दिनों लाल झंडा अपने संघर्षों और दलीय ताना-शाही की अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठ भूमि पर मजदूरों के आकांक्षाओं का प्रतिनिधि समझा जाता था। भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्र प्रेम, त्याग एवं आत्म बलिदान का पुरातन प्रतीक भगवा झंडा फहराया। भगवा रंग भारतीय जीवन मूल्यों में सर्वोत्कृष्ट एवं महानतम गरिमा का परिचायक है।

कितनी बड़ी विडम्बना थी कि भारतीय मजदूर आंदोलन अपना राष्ट्रीय श्रम दिवस नहीं खोज सका था। जब कि

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की जन्म भूमि अमेरिका में भी मजदूर अपना राष्ट्रीय श्रम दिवस सितम्बर के पहले सोमवार को मनाते हैं। हमारे देश में "विश्वकर्मा दिवस" राष्ट्रीय श्रम दिवस के नाते अनंत काल से मनाया जाता रहा है। आज भी देश के छोटे बड़े कारखानों में विभिन्न धर्मावलम्बी मजदूर इस पवित्र दिन पर अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं। भारतीय मजदूर संघ ने बड़े सहस्र के साथ "विश्वकर्मा दिवस" को प्रस्तुत किया। बड़े हर्ष का विषय है कि आज इस दिवस को मजदूरों ने व्यापक रूप में स्वीकार किया। लेकिन तथाकथित प्रगतिशील मजदूर नेता अभी भी इस विषय पर हिचकिचा रहे हैं।

भारतीय मजदूर संघ के आगमन के पहले "भारत माता की जय" का नारा भारतीय श्रम क्षेत्र में एकदम अपरिचित था। जब भारतीय मजदूर संघ ने पहलीवार इस नारे को प्रस्तुत कर वर्गीय एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया तो मजदूरों ने आश्चर्य के साथ इसे देखा। मूलतः देश भक्त होने के कारण इस नारे को अपनाने में मजदूरों को किंचित भी देर नहीं लगी। भारतीय परम्परा के अनुसार राष्ट्रवाद की भावना से कुछ भी पृथक नहीं है। श्रमिकों में राष्ट्रीय चेतना का स्तर उठाने में भारतीय मजदूर संघ ने अद्वितीय कार्य किया है।

भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा दूसरा श्रम संगठन—

धीरे-धीरे भारतीय मजदूर संघ की ताकत बढ़ने लगी। पेशेवर नेताओं से मजदूरों के अन्दर निराशा और नये संगठन के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ने लगी। तरुण आदर्शवादी, अनुशासित कार्यकर्ताओं के आने के कारण भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के अन्दर विश्वास अजित करता रहा। राज्य स्तर की समितियों में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसे केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। विशेष विपक्षीय वार्ताओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-

समय पर आमंत्रण एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल० ओ०) के श्रमिक प्रतिनिधि मण्डल में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि को शामिल किया गया। विगत वर्ष चीन के केन्द्रीय श्रम संघटन के निर्मंत्रण पर भारतीय मजदूर का एक प्रतिनिधि मण्डल भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक महामंत्री मा० दत्तो पंतजी ठेंगरी के नेतृत्व में चीन के प्रवास पर गया। ये विशिष्ट उपलब्धियाँ कुशल नेतृत्व एवं निर्दोष विचारधारा के चलते प्राप्त हुई हैं।

श्रमिकायां राष्ट्र भक्ति राष्ट्रस्योद्योगशालिता।

उद्योगे श्रम-स्वामित्वं एतत्सर्वार्थं साधनम् ॥

—ब्रह्मनीति

“श्रमिकों की राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र की उद्योगशालिता तथा उद्योगों में श्रमिकों का स्वामित्व-ये तीनों “अर्थ”

सम्बन्धी सभी समस्याओं के पूर्ण समाधान करने के साधन हैं।”

अर्थ: आवश्यकता है :—

श्रम का राष्ट्रीयकरण !

राष्ट्र का उद्योगीकरण !!

उद्योगों का श्रमिकीकरण !!!

भारतीय मजदूर संघ के आदर्शवादी कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। अनिवार्य व्यावहारिक कारणों से जो देश भक्त मजदूर जाल यूनियनों को तत्काल छोड़ने की स्थिति में नहीं हैं। वे भी इस बात पर विश्वस्त हैं कि भारतीय मजदूर संघ ही देश की सम्पूर्ण राष्ट्रवादी मजदूर शक्ति के लिए आशा की किरण है।

*With Best
Compliments of*

EARN HANSOME INCOME BY NOMINAL INVESTMENT
ON

LEAF CUP PLATE MAKING MACHINES
HAVING LEVER WITH BEARINGS

Designed For
LIGHT OPERATION & MORE PRODUCTION

Manufactured by

A. M. I. Engineering

Factory :

G-32 INDUSTRIAL AREA

PATLIPUTRA

PATNA-800 013

☎ : 62847

Office :

STATION ROAD

Opp. VEENA CINEMA

PATNA-800001

☎ : 24274

बैंकिंग उद्योग में कम्प्यूटर

शिवजी सिंह

उपाध्यक्ष, बिहार प्रवेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, पटना

श्रमिक हितों का हमन

कर्मचारीवर्ग के हितों के तथाकथित प्रहरियों ने एकबार पुनः श्रमिक हितों को बंधक रखकर निर्लज्ज और स्वार्थपरक सौदेबाजी की है। आई० बी० ई० एवं ए० आई० बी० ई०/एम० सी० बी० ई० बैंकिंग में बहुत पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण और यांत्रिकीकरण का पथ प्रशस्त करते पर सहमत हो गये हैं। इस संदर्भ में हम यह स्मरण दिलाना चाहेंगे कि तिथि 8 सितम्बर, 1983 के अपवित्र समझौते के ही तहत 18 सितम्बर, 1983 को वह वेतन-निर्धारण समझौता हुआ था जिसमें ए० आई० बी० ई० ए०/एन० सी० बी० ई० ने आई० बी० ए० की कम्प्यूटरीकरण की पूर्व निर्धारित शर्तों को स्वीकार कर लिया था इसके शीघ्र ही बाद इन पक्षों के बीच एक विसंगतिपूर्ण वेतन निर्धारण समझौता हुआ था। हम इसे "विनिमय सौदेबाजी" का नाम देते हुए इसे सर्वांगीण जांच का विषय मानते हैं साथ ही ट्रेड यूनियन नेताओं के वेश में इस सौदेबाजी से लाभान्वितों का अवश्य पर्दाफाश होना चाहिए।

हमारी शीर्ष-संस्था, भारतीय मजदूर संघ देश में कुतार्किक कम्प्यूटराइजेशन की पहले ही निन्दा कर चुकी है। 9 अक्टूबर, 1983 को बंगलूर अधिवेशन में बी० एम० एस० के संस्थापक, महा सचिव श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कम्प्यूटरीकरण के विरुद्ध जोरदार आवाज बुलंद की थी। हम उनके कथन को यहाँ शब्दशः उद्धृत कर रहे हैं—

"कम्प्यूटरीकरण के विरुद्ध संघर्ष एक दीर्घकालीन संघर्ष होगा। यह संघर्ष विदेशी पूँजी, भारतीय एकाधिकार और भारत सरकार के सम्मिलित षड्यंत्र के विरुद्ध है"।

साथ ही यह उल्लेखनीय है कि एन० ओ० बी० डब्ल्यू० भी वेतन-वार्ता में सम्मिलित पक्षों में से एक था परन्तु उसने कम्प्यूटरीकरण की पूर्वशर्तों को मानने से इन्कार कर दिया था और ऐसी अपमानजनक वार्ता से दूर ही रहना पसंद किया था। हाल ही में नई दिल्ली में मुख्य श्रमायुक्त के कार्यालय में आई० बी० ए० एवं एन० ओ० बी० डब्ल्यू० की असहमति के बाद कम्प्यूटरीकरण की पूर्व शर्तों और एन० ओ० बी० डब्ल्यू० के वार्ता में सम्मिलित होने के अधिकार के प्रश्न पर बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में एक रिट-याचिका दाखिल की गई थी। 20 मार्च, 1987 को इस मुकदमे को न्यायालय की मान्यताओं के तहत सुनवाई के लिए स्वीकृत किया गया। इस प्रकार हम यथाशक्ति कम्प्यूटरीकरण के मामले पर संघर्षरत हैं।

मित्रों, हम फिर भी यह महसूस करते हैं कि हमें दूसरे देशों से पिछड़ना नहीं चाहिए इसलिए चिकित्सा, शोध, रक्षा आदि संवेदनशील क्षेत्रों में कम्प्यूटर के प्रयोगों पर हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि नियोजनालयों में पंजीकृत बेरोजगारों के सरकारी आँकड़े ही जो 10 करोड़ हैं तो बेरोजगारों, शिक्षित बेरोजगारों और अध्ययनियुक्तों की वास्तविक संख्या तो कल्पना से परे ही है।

केवल बैंकिंग उद्योग की ही बात करें तो यह स्पष्ट है कि ढाई वर्षों से यहाँ नियुक्तियों पर पाबंदी लगी है। व्यावसायिक बैंकों में जिन अधिकारियों ने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं उनके सिरों पर अनिवार्य-मेवा-निवृत्ति की तलवार लटक रही है। इन सारे तथ्यों के लिए वे कम्प्यूटर और मशीनें ही जिम्मेवार हैं जो मनुष्यों का शनैः शनैः प्रति-स्थापन करती जा रही हैं। इस प्रकार बैंकिंग उद्योग में कम्प्यूटरों का अतिरिक्त नियोजन निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है।



PREMIER SYNTHETICS

Leading Manufacturers of

MICROCELLULAR SHEETS NEOLITE SHEETS, INDUSTRIAL ADHESIVES

&

HAWAI CHAPPALS

(Guaranteed Quality Goods)

FACTORY :

KUMHRAR

Patna-800 020



51363

54363

HEAD OFFICE :

LAKSHMI BHAWAN

Munger-811 201

(BIHAR)



2290



क्र. 54186
श्री 54186
रिजिस्ट्रार, रामपुरी, मध
प्रदेश

उदय भाग तिका

ग्राम - अगभडा
पो. रामपुरी (मधा)
दरौली
जिला - खैराबाद



मगध निकेतन
सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

पटना

अध्यक्ष

प्रो० श्री निधिलेश्वर प्रसाद सिंह

सचिव

श्री श्रीरन्द्र कुमार सिंह

